पंजीकृत पावती

उल्लंघन पत्र

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
कर्मयोगी भवन, चतुर्थ माला,ब्लॉक-2, सी विंग,
सेक्टर-10A, गांधीनगर, गुजरात,382010

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of Regional Controller of Mines
Karmayogi Bhavan, 4th Floor, Block-2, C Wing,
Sec10A,Gandhinagar, Gujarat-382010

Tel- 079 29750358 /29750359; ई –मेल/ E-mail:ro.gandhinagar@ibm.gov.in

पत्रावलीसंख्या: MCDR-MiFL0BXT/126/2022-GNR-IBM_RO_GNR   Mine code: 38GUJ07074

ID-190/23

दिनांक: 29.12.2023

सेवामें:**Mr. JAYDEV PRAKASH THAKORE,**
THAKORE FARM N.H 8B DHORAJI ROADNEAR
UPLETA BYE PASS BOARD,
UPLETA RAJKOT 360490

E mail:-jaydevpthakore@gmail.com
Mobile:9099028311

विषय: गुजरात राज्य के जिला: जामनगर की तालुका- जामजोधपुर में स्थित आपकी मालवाडा चूना पत्थर खदान, क्षेत्रफल- 4.9 हैक्टर, में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का रिव्यू खनन योजना निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 04.11.2023 को श्री चंद्रदेव ठाकोरे, प्रबन्धक और चंद्र मौलेश्वर द्विवेदी, भूविज्ञानी की उपस्थिति में किया गया तथा उक्त निरीक्षण के समय खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन पाया गया-

नियम सं.	उल्लंघनोंकेप्रकारोंका विस्तृतब्यौरा
11(1)	No holder of mining lease shall commence or carry out mining operations in any area except in accordance with the approved mining plan. Whereas, in your case, it is found during inspection that the configuration layout of benches is not in systematic manner इस कार्यालय के पत्र संख्या 684(4)(1)/MP-331/2021-22/GNR/1369 दिनांक 17.08.2021 के द्वारा अनुमोदित खनन योजना के निम्न लिखित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खनन कार्य किया जा रहा है- (i) अनुमोदित खनन योजना की Table संख्या 25 के अनुसार वर्ष 2022-23 में पर्यावरण सुधार हेतु 150 पौधें लगाकर वृक्षारोपण करना प्रस्तावित था, लेकिन निरीक्षण के समय पाया गया कि निर्धारित वृक्षारोपण नहीं किया गया है। (ii) अनुमोदित खनन योजना की Table संख्या 25 के अनुसार वर्ष 2022-23 तक खान पर 716 मी. Fencing लगाना प्रस्तावित था, लेकिन निरीक्षण के समय पाया गया कि निर्धारित Fencing नहीं लगाई गई है।

०२. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

०३. खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम संख्या 11(1) तथा अन्य नियमों की पालना नहीं होने से व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक तरीके से खनन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः उपरोक्त नियमों की पालना नहीं करने पर नियम 11(2) के अंतर्गत खनन क्रियाएं स्थगित (निलंबित) की जा सकती हैं अथवा राज्य सरकार को उचित कार्यवाही करने की अनुशंसा भी की जा सकती है।

०४. अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अति शीघ्र सुधार कर इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से ४५ (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

०५. यह उल्लंघन पत्र क्षेत्रीय खान नियंत्रक के अनुमोदन पश्चात जारी किया जा रहा है।

भवदीय

सुनील कुमार शर्मा
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि (मूल पर नही) -
१. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
२. आयुक्त, भू विज्ञान एवं खनन, गुजरात सरकार, खण्ड- १, सप्तम तल, उद्योग भवन, गांधीनगर -सूचनार्थ प्रेषित।
३. रक्षित पत्रावली।

भवदीय

सुनील कुमार शर्मा
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो